राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3240/2024

पुष्कर सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्व बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.11.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में कार्याव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर जेडीए, जयपुर में जुलाई 2023 से कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेश दिनांक 11.10.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार एसडीएम कार्यालय नदबई जिला भरतपुर में 200 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी व्यक्ति को पदस्थापित नहीं किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए परेशान करने की नियत से मात्र 01 वर्ष 03 माह की अल्पावधि में किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने जेडीए प्राधिकरण की सहमति के बिना ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.10.2024 को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को कार्याव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर जेडीए, जयपुर में रखा जावे। वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्यहित में प्रशासनिक कारणों से अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार एसडीएम नदबई, जिला भरतपुर में किया गया है। प्रशासनिक आवश्यकतानुसार कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के पदस्थापन आदेश दिनांक 11.10.2024 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)